

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 645]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2014—पौष 10, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-34-2010-1-पांच (65).—यतः, राज्य शासन का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002), केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 74), मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) तथा मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) के अधीन कर भुगतान के दायित्वाधीन व्यापारियों के कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की ऐसी समस्त कार्यवाहियां, जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन केलेण्डर वर्ष 2014 की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है, करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती हैं और ऐसी कार्यवाहियों को गुण-दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समय-सीमा उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हेतु दिनांक 15 जनवरी, 2015 तक तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हेतु दिनांक 31 जनवरी 2015 तक बढ़ाई जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा प्रत्येक व्यापारी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की प्रत्येक ऐसी कार्यवाहियां जो 31 दिसम्बर 2014 तक पूर्ण नहीं होती हैं, को पूर्ण करने की कालावधि को उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर हेतु दिनांक 15 जनवरी, 2015 तक तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी हेतु दिनांक 31 जनवरी 2015 तक बढ़ाई जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-34-2010-1-पांच (65).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-34-2010-1-पांच (65), दिनांक 31 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 31st December 2014

No. F-A-3-34-2014-1-V-(65).—WHEREAS, the State Government satisfied that all such assessment and reassessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the Madhya Pradesh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976) and the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Avam Vigyapan Kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011), which have to be completed by the end of the calendar year 2014 under the provisions of sub-section (7) of section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) can not be completed within the prescribed period, despite all possible efforts being made by the assessing authorities, and that in order to enable the assessing authorities to complete such proceedings be extended up to 15th January 2015 for Deputy Commissioner and Assistant Commissioner Commercial Tax and upto 31st January, 2015 for Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, **extends the period up to 15th January 2015 for Deputy Commissioner and Assistant Commissioner Commercial Tax and upto 31st January, 2015 for Commercial Tax Officer and Assistant Commercial Tax Officer**, for completion of every such assessment and reassessment proceedings in respect of every dealer, under the said Acts, which is not completed by the 31st December, 2014.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.